

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

51 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025

30.05.2025

11.07.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन निवासी कोठारियों का मोहल्ला वार्ड 12, दूनी जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन सदर बाजार दूनी जिला टोंक राज0। मोबाईल नं.-9414349562

2-मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन सदर बाजार दूनी जिला टोंक राज0। पिनकोड-304802

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित।

:निर्णय:-

दिनांक 11.7.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2025 को समय 01:15 पी.एम. पर मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन सदर बाजार दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर विक्रेता की हैसियत से श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन सदर बाजार दूनी जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ घी, गुड, तेल, शक्कर, तेल आदि का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में सामान की रैक में 500-500 एम.एल. पैक के लगभग 35 पैकेट घी (डेयरी बेस्ट) रखे हुए थे। जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह घी (डेयरी बेस्ट) प्रतिष्ठान में सामान की रैक में रखे 500-500 एम.एल. पैक के लगभग 35 पैकेट घी से नमूना जांच क्य किया जा रहा है घी (डेयरी बेस्ट) में से 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रशीद प्राप्त की।



.....
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी(डेयरी बेस्ट) 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग कागज से लपेटकर नियमानुसार 4 भाग तैयार किये एवं नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4286 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4286 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री हंसराज जैन पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश जैन ने एफ.बी.ओ. मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन सदर बाजार दूनी जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/385 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1109/एक्ट/2025/1010 दिनांक 26.03.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्य किया गया घी (डेयरी बेस्ट) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्राथी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्राथी जिस घी (डेयरी बेस्ट) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त घी (डेयरी बेस्ट) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्राथी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



प्रतिवेदक जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी(डेयरी बेस्ट) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 13,000/- (अक्षरे तेरह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(समरत सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0